उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 310/VII-A-1/2023/08(ख)/2016
देहरादून, दिनांकः 23 फरवरी, 2023

अधिसूचना सं0 292/VII-A-1/2023/08(ख)/2016 दिनांक 22 फरवरी, 2023 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव– मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 292/VII-A-1/2023–08(ख)/2016
देहरादूनः दिनॉकः 22 फरवरी, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम–4 के उपनियम (3) व उपनियम (6)(क), नियम–10(2) एवं नियम–15 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, –

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) यह सम्पूर्ण प्रदेश में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होगी।

नियम 4 का संशोधन

2. मूल नियमावली के नियम 4(3) एवं (6)(क) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ –1 विद्यमान नियम		स्तम्भ –2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
न्यास का गठन एंव प्रबन्ध	4.(3) (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :–		4.(3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :–	
	(क)	सम्बन्धित जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष	(क) जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
	(ख)	संबंधित मा0 सदस्यगण विधान सभा	सदस्य	(ख) संबंधित मा0 सदस्यगण लोकसभा	सदस्य
	(ग)	जिलाधिकारी/कलेक्टर	सदस्य	(ग) संबंधित मा0 सदस्यगण राज्यसभा	सदस्य
	(घ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हो)	सदस्य	(घ) संबंधित मा0 सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
	(ड)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	(ड) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हो)	सदस्य
	(च)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य	(च) मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
	(छ)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य	(छ) मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
	(ज)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य	(ज) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
	(झ)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य	(झ) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
	(ञ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी	सदस्य	(ट) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
				(ट) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

	अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	
(ट)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण)	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट :– संबंधित जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते है, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

	अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	
(ठ)	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ड)	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ण)	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(त)	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(थ)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(द)	ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट :– 1– संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ उपायुक्त/जिला कलेक्टर के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

2– मा0 सदस्य लोकसभा उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी जनपदों के जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास के शासी परिषद के सदस्य होगें।

3– मा0 सांसद राज्यसभा द्वारा चुने गए एक जिले की शासी परिषद के सदस्य होगें। (राज्यसभा सांसद अपने द्वारा चुने गए जिले का नाम राज्य के सचिव खनन को सूचित करेगें जो संबंधित जिलाधिकारी/उपायुक्त/जिला कलेक्टर को सूचित करेगें।)

4– जनपद के अन्तर्गत मा0 विधान सभा के सदस्यगण शासी परिषद के सदस्य होगें।

(6)(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होगे:–

(एक)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छः)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से	सदस्य

(6)(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होगे:–

(एक)	जिलाधिकारी/उपायुक्त/ जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन)	खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच)	सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छः)	लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात)	पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

	निम्न स्तर का न हो)	
(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
नौ	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
दस	जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
ग्यारह	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
बारह	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग)	सदस्य
तेहरा	ज्येष्ठ खान अधिकारी /खान अधिकारी	सदस्य सचिव

(आठ)	लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
नौ	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
दस	जिला राज्य पंचायत अधिकारी	सदस्य
ग्यारह	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
बारह	अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग	सदस्य
तेहरा	ज्येष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नियम 10 का संशोधन

3. मूल नियमावली के नियम 10 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
न्यास निधि हेतु अंशदान	10.(2) गौण खनिजों के मामले में:– 1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे। 2. ईट भट्टा समाधान रायल्टी का 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा की जायेगी। 3. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्डर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। 4. सरकारी निर्माण कार्यो में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी, बोल्डर पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। 5. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।	10.(2) गौण खनिजों के मामले में:– 1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 15 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे। 2. ईट भट्टा समाधान रायल्टी का 10 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में जमा की जायेगी। 3. उपखनिजों (बालू, बजरी, बोल्डर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। 4. सरकारी निर्माण कार्यो में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी, बोल्डर पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से। 5. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

Scanned with OKEN Scanner

		6. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।	6. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 15 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।

नियम 15 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नियम 15 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
न्यास निधि का संचालन	15. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।	15. न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंकों को छोड़कर) में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोला जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा। 15(क) न्यास निधि, न्यास के नाम से पब्लिक सैक्टर बैंक अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंकों को छोड़कर) के बचत खाते में रखी जायेगी परन्तु न्यास निधि के बचत खाते से भिन्न खातों को बचत खाते में आगामी 6 माह में परिवर्तित किया जाना होगा।

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner